CHETANA
International Journal of Education (CIJE)

Peer Reviewed/Refereed Journal
ISSN : 2455-8279 (E)/2231-3613 (P)

Impact Factor
SJIF 2024 - 8.445

Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

महिला सशक्तिकरण में भीमराव अंबेडकर का योगदान

महेश कुमार
सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान,
राजकीय कला महाविद्यालय, सीकर
डॉ. हंसा चौधरी
सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
Email-maheshbhaskar1@gmail.com, Mobile-9414441475

First draft received: 15.07.2025, Reviewed: 20.07.2025
Final proof received: 21.07.2025, Accepted: 27.07.2025

सारांश

भारत में सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों में डॉ. भीमराव अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका है। विशेष रूप से महिलाओं के मुक्तिदाता के रूप में। अंबेडकर ने समाज के वंचित वर्गों जैसे महिलाओं एवं श्रमिकों की पीड़ा को समझा एवं उनके शोषण के लिए उत्तरदायी संस्थाओं एवं विचारों को चुनौती दी। रुढ़िवादी हिंदू सामाजिक व्यवस्था एवं पितृसत्तात्मक समाज में महिला को एक निश्चित भूमिका सौंप दी जाती थी जिस से बाहर निकलने की अनुमति उनको नहीं थी। ऐसे अन्यायपूर्ण लैंगिक संबंधों को समाप्त करने के लिए अंबेडकर ने सामाजिक संबंधों के पुनर्गठन को महत्त्वपूर्ण उपाय बताया ताकि समाज में समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे मूल्य स्थापित हो सके। अंबेडकर ने लैंगिक न्याय की स्थापना हेतु जीवन पर्यंत सामाजिक, राजनीतिक एवं विधिक प्रयास किए। अंबेडकर के प्रत्येक कार्य और विचारों में महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु गहरी चिंता एवं भावना व्यक्त होती है।

मुख्य शब्द : *हिंदू सामाजिक व्यवस्था, पितृसत्तात्मक समाज, समानता, लैंगिक न्याय आदि.*

परिचय

डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भारतीय समाज में समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व स्थापित करने के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने महिलाओं की समाज में निम्न स्थिति को इंगित किया तथा उनकी दशा सुधारने के लिए कानूनी प्रावधान संविधान में शामिल करवाए। अंबेडकर ने गरीबों, अशिक्षित महिलाओं के बीच जाकर उनको जागरूक किया एवं उन्हें सामाजिक अन्याय, बाल विवाह, देवदासी जैसी कुप्रथाओं के विरोध में आवाज उठाने को प्रेरित भी किया। अंबेडकर ने अपने ग्रंथों जैसे रिडल्स ऑफ द वुमन, वुमन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिन्दू वुमन, कास्ट इन इंडिया: मैकेनिक, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट तथा मूकनायक (1920) तथा बहिष्कृत भारत (1927) के माध्यम से समाज में महिलाओं की दयनीय एवं शोषित स्थिति को उजागर किया तथा उनको समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए समाधान बताए (क्रिस्टोफ, जाफ्रलो, 2005: 32)। अंबेडकर ने विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों जैसे हिंदू कोड बिल, मातृत्व लाभ अधिनियम, श्रमिक सुधार अधिनियम के माध्यम से भी अनेक सुधारवादी प्रयास किए।

भारतीय समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति के कारण

प्राचीन भारत में समाज में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक एवं प्रतिष्ठित थी। महिलाओं को अनेक अधिकार एवं स्वतंत्रता प्राप्त थी जैसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, धार्मिक समारोह में भाग लेने का अधिकार, जीवन साथी के चुनने का अधिकार, पुनर्विवाह का अधिकार आदि, जिसके कारण वे गरिमामय जीवन यापन करती थीं। पूर्व वैदिक काल में समाज मातृसत्तात्मक था, तो महिलाओं का समाज में स्थान भी उच्च था। वे परिवार की मुखिया होती थीं। इस कारण उनका सामाजिक दर्जा ऊँचा था। लेकिन इस स्थिति में जल्द ही गिरावट शुरू हो गई। भारत में देवी मानकर मातृशक्ति के रूप में पूजनीय महिलाओं की स्थिति धीरे-धीरे दयनीय होती चली गई।

उत्तर वैदिक काल में समाज में पुरुषों का प्रभुत्व बढ़ने लगा, समाज

मातृसत्तात्मक से पितृसत्तात्मक व्यवस्था में बदलने लगा। जिसके साथ महिलाओं की स्थिति कमजोर होनी शुरू हो गई। समाज में लिंगभेद भी बढ़ गया था। इस कारण महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा में गिरावट आनी शुरू हो गई। सामाजिक रूप से स्थिति कमजोर होने के कारण आर्थिक रूप से भी वे कमजोर हो गईं। फिर उनको मानवाधिकार, संपत्ति, शिक्षा आदि अधिकारों से भी वंचित किया जाने लगा।

"रात और दिन कभी भी स्त्री को स्वतंत्र नहीं होना देना चाहिए, लैंगिक संबंध द्वारा अपने वश में रखना चाहिए, बचपन में पिता के द्वारा, जवानी में पति के द्वारा और बुढ़ापे में पुत्र के द्वारा उसकी रक्षा करनी चाहिए, महिलाएँ स्वतंत्र होने लायक नहीं हैं।" (विक्रम, एस., 2010ः 42)। मनुस्मृति में लिखी यह बातें उस समय स्त्रियों की दशा को पहचानने के लिए काफी हैं।

मनुस्मृति में महिलाओं के प्रति अन्याय की यह पराकाष्ठा थी। और मनुस्मृति के प्रभाव के कारण महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति, धार्मिक शास्त्रों के अध्ययन से वंचित कर दिया गया।मध्यकाल में भी समाज में अनेक रीति-रिवाज, परंपराएँ, प्रथाएँ महिलाओं की मुक्ति के रास्ते में बाधाएँ बनकर खड़ी थीं जैसे बहुविवाह, पर्दाप्रथा, तलाक आदि। मुगल काल में दलितों ने धर्मांतरण के द्वारा अपनी स्थिति बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन महिलाओं की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही, बल्कि उसमें और ज्यादा गिरावट ही आई।

धुनिक काल में जब भारत पर ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ, तो महिलाओं की मुक्ति के लिए आशा की किरण दिखाई दी। क्योंकि ब्रिटिश लोग उदारवाद से प्रभावित थे, जहाँ लिंगभेद का समर्थन नहीं किया जाता था। ब्रिटिश शासन के प्रभाव के कारण भारतीय समाज में चेतना का प्रसार हुआ और कुछ समाज सुधारकों ने भारतीय समाज में व्याप्त प्रथाओं को समाप्त करने के लिए प्रयास भी शुरू किए। महिला शिक्षा में ज्योतिबा फुले एवं उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले का बड़ा योगदान रहा था (विक्रम, एस., 2010ः 255)। राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी आदि भारतीय महापुरुषों का महिलाओं के उत्थान में बड़ा योगदान माना जाता है (कुमार, बी., 2016ः 214)।

अंबेडकर ने भारतीय महिलाओं की दुर्दशा के लिए मनुस्मृति को उत्तरदायी माना है। कौटिल्य के काल तक स्त्रियों की दशा ठीक थी। महिलाओं को कुछ अधिकार प्राप्त थे जैसे तलाक का अधिकार, पुनर्विवाह का अधिकार, गुजारे-भत्ते का अधिकार। लेकिन मनु ने एक झटके में महिलाओं के अधिकार छीन लिए। मनु ने पत्नी को पति के प्रति पूर्ण समर्पण तथा गृहस्थ जीवन के प्रति निर्देशित किया। यौन संबंधों पर कठोर नियंत्रण के द्वारा जाति व्यवस्था को मजबूती प्रदान की। स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता व स्वावलंबन पर कठोर प्रहार किया। इस कारण वे पूरी तरह पुरुष पर निर्भर हो गईं, जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अनुरूप थी।

अंबेडकर ने अपनी रचना *कास्ट इन इंडिया* में महिलाओं के शोषण के पूरे षड्यंत्र को उद्घाटित करते हुए लिखा कि सजातीय विवाह, जो कि जात-पात का एकमात्र कारण है, उसे बनाए रखने के लिए महिलाओं पर इतने बंधन आरोपित किए गए हैं (शाह, घनश्याम, 2002ः 85)। अंबेडकर जीवन के सभी क्षेत्रों जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक में लैंगिक समानता की माँग करते हैं। अंबेडकर ने अपने कार्यों, भाषणों, लेखन के माध्यम से अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। उनका मानना था कि राजनीतिक लोकतंत्र बिना सामाजिक लोकतंत्र के सफल नहीं हो सकता, क्योंकि सामाजिक लोकतंत्र समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व आधारित समाज की स्थापना करता है (नागर, पुरुषोत्तम, 2013ः 682)।

महिला सशक्तिकरण में भीमराव अंबेडकर का योगदान

अंबेडकर ने अपने लेखन के जरिए हिंदू समाज में व्याप्त लैंगिक असमानता के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने अपने पत्रों *मूकनायक* (1921) एवं *बहिष्कृत भारत* (1927) के जरिए महिलाओं के अधिकारों एवं लैंगिक समानता के मुद्दे हमारे सामने रखे। अंबेडकर के प्रभाव के कारण ही महिलाओं ने 1920 के दशक में आंदोलनों में पुरुषों के साथ भागीदारी की, जैसे 1924 में जया बाई चौधरी ने नागपुर में चोखा मेला कन्या पाठशाला की स्थापना की। इसी प्रकार तुलसी बाई बनसोडे ने अपने पति के साथ *चोखा मेला* नामक पत्र के प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार हेतु कार्य किया (दुबे, अभयकुमार, 2002ः 232)।

भीमराव अंबेडकर ने महिलाओं को राजनीतिक रूप से संगठित किया एवं 1940 में महिला संघ की स्थापना की। वे महिलाओं के प्रति अन्याय का मुख्य कारण जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था एवं ब्राह्मणवादी धर्म को मानते थे। उन्होंने अपने आंदोलनों के द्वारा इन्हीं को निशाना बनाया। 1927 में महाड सत्याग्रह को उन्होंने अन्यायपूर्ण सामाजिक बंधनों को ध्वस्त करने के लिए संचालित किया। हालांकि यह आंदोलन पीने के पानी से संबंधित था, लेकिन अंबेडकर ने इसका प्रयोग महिलाओं के आत्मसम्मान को जगाने में किया। उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि उन्हें अपने स्वाभिमान की बलि दिए बगैर गरीबी में सही, लेकिन आत्मसम्मान के साथ जीवन जीना चाहिए।

अंबेडकर ने उनसे आग्रह किया कि वे उन कपड़ों व आभूषणों को न पहनें जो उनकी निम्न स्थिति का संकेत करते हैं। महिलाओं से आग्रह किया कि अधिक बच्चों को जन्म न दें क्योंकि बच्चों का पालन-पोषण कठिन प्रक्रिया है। अपना समय अपने जीवन को समृद्ध बनाने में खर्च करें। अंबेडकर ने महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति के अधिकार तथा राजनीति में पुरुषों के साथ समान भागीदारी पर बल दिया। वे उन्हें सदियों पुराने रीति-रिवाजों, अंधविश्वासों से मुक्त कराना चाहते थे। सभी परंपराओं को त्यागने और आधुनिक जीवन मूल्यों को अपनाने तथा प्रगतिशील दृष्टिकोण विकसित करने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया (दत्ता, रूनी, 2019ः 29)।

महाड सत्याग्रह के द्वितीय चरण में 1927 को अंबेडकर ने साहसपूर्ण कदम उठाते हुए सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति का दहन किया और इसकी जगह आधुनिक मूल्यों पर आधारित एक नई संहिता की मांग की (कीर, धनंजय, 2022ः 100)। जाति व्यवस्था एवं स्त्रियों के प्रति अन्याय के मध्य सीधा संबंध होने के कारण मनुस्मृति का दहन दलितों एवं महिलाओं के लिए समान महत्व रखता था। अंबेडकर कहते थे कि महिलाओं की भागीदारी के बिना कोई भी आंदोलन सफल नहीं होता। इसलिए उन्होंने अपने समाज सुधार कार्यों एवं आंदोलनों में महिलाओं की भागीदारी हेतु विशेष प्रयास किए। इसी क्रम में 1928 में मुंबई में महिला सभा की स्थापना हुई, जिसकी सभापति डॉ. अंबेडकर की धर्मपत्नी रमाबाई अंबेडकर थीं।

वे हमेशा ही महिलाओं की पूर्ण मुक्ति का समर्थन किया करते थे, फिर चाहे वह पारिवारिक हो या सार्वजनिक। परिवार में महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हुए शिक्षा पर विशेष बल दिया तथा सामाजिक कुप्रथाओं जैसे बालविवाह, बहुपत्नीवाद, देवदासी प्रथा आदि के खिलाफ अपने भाषणों में विचार रखे। अंबेडकर ने बताया कि विवाह जैसे विषयों पर पुरुषों को स्वतंत्रता है, वैसे ही महिलाओं को भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उनसे प्रभावित होकर 1930 में नासिक के कालाराम मंदिर सत्याग्रह में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया तथा अपनी गिरफ्तारी दी (चन्द्रा, मनीश, 2015ः 285)।

1936 को अंबेडकर ने मुंबई के ठक्कर हॉल में वेश्याओं को संबोधित किया और कहा कि इस अपमानजनक पेशे को त्यागकर सम्मानजनक

जीवन अपनाना चाहिए। अंबेडकर के इस उद्बोधन से प्रभावित होकर सैकड़ों महिलाओं ने इस पेशे को त्यागकर सम्मानजनक जीवन जीने की इच्छा व्यक्त की तो अंबेडकर ने उनके लिए व्यवस्था भी करवाई।

1938 में मुंबई विधानमंडल के सदस्य के रूप में भीमराव अंबेडकर ने परिवार नियोजन की वकालत की तथा मातृत्व लाभ विधेयक पेश किया, जिससे प्रभावित होकर बाद में मद्रास विधानमंडल ने भी मातृत्व लाभ अधिनियम पारित किया। 1942 से 1946 के बीच पूरे देश में महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम पारित करवाए गए।

1942 में अंबेडकर सदस्य के रूप में वायसराय की काउंसिल में शामिल हुए और उन्होंने इस अवधि में श्रमिकों के हितों में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। अंबेडकर के प्रयासों से काम के घंटों में कमी की गई, महिला श्रमिकों को पुरुषों के बराबर वेतन की व्यवस्था की गई, कामकाजी श्रमिक महिलाओं के बच्चों हेतु कार्यस्थल पर पालनाघर की व्यवस्था करवाई। श्रम मंत्री रहने के दौरान अंबेडकर ने यह सुनिश्चित किया कि श्रमिकों को मातृत्व अवकाश भी मिले तथा उनकी नौकरी भी सुरक्षित रहे।

1942 में नागपुर में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन की स्थापना के साथ ही अखिल भारतीय दलित महिला सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। अंबेडकर ने संविधान निर्माण के कार्य में सक्रिय भाग लेकर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेक प्रावधान संविधान में शामिल करवाए, जैसे लैंगिक समानता की स्थापना, महिला को समाज की मुख्यधारा में लाना, उन्हें संगठित करना, उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित करना, वित्तीय रूप से सशक्त बनाना आदि।

अंबेडकर की पहल पर संविधान में महिला मताधिकार एवं वयस्क मताधिकार जैसे प्रावधान शामिल किए गए। अंबेडकर के अत्यधिक प्रयासों के कारण भारतीय संविधान में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक अधिकार एवं न्याय की गारंटी प्रदान की गई है (दत्ता, रूनी, 2019ः 30)।

महिलाओं के कल्याण से संबंधित प्रमुख प्रावधान निम्न हैं:

- अनुच्छेद 14 गारंटी देता है कि राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।
- अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के खिलाफ भेदभाव पर रोक लगाता है।
- अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव करने का अधिकार देता है।
- अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 23 मानव के अवैध व्यापार और जबरन श्रम पर रोक लगाता है।
- अनुच्छेद 39 राज्य को आजीविका के साधन और समान काम के लिए समान वेतन प्रदान करने का आदेश देता है।
- अनुच्छेद 42 राज्य को काम की उचित और माननीय स्थितियों को सुरक्षित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करने के लिए बाध्य करता है।
- अनुच्छेद 243 डी(3) यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों की संख्या का कम से कम 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, और ऐसी सीटें एक पंचायत में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को बारी-बारी से आबंटित की जाएंगी।
- अनुच्छेद 243 टी(3) प्रदान करता है कि प्रत्येक नगर पालिका में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों की संख्या का कम से कम 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित होगा और ऐसी सीटों को एक नगरपालिका में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रानुक्रम से आवंटित किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 243 टी(4) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं में अध्यक्ष के कार्यालयों का आरक्षण प्रदान करता है, जैसा कि एक राज्य की विधायिका कानून द्वारा प्रदान कर सकती है (सिंह, ओम, 2021: 27)।

उपरोक्त संवैधानिक प्रावधानों के अनुसरण में, महिलाओं के हितों की रक्षा, सुरक्षा और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विधायी अधिनियम बनाए गए हैं। इन विधायी अधिनियमों में से कई श्रम कानूनों के क्षेत्र में महिला श्रमिकों की कार्य स्थितियों में सुधार करने के लिए हैं।

महिलाओं के लिए अंबेडकर के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक संविधान सभा में 1949 के *हिंदू कोड बिल* के रूप में पेश किया गया विधेयक था, जिसमें हिंदू पर्सनल लॉ को संहिताबद्ध करने का एक प्रयास किया गया (चतुर्वेदी, एम.एस. एवं चतुर्वेदी, इनाक्षी, 2002ः 426)। इस बिल के पीछे मुख्य तर्क महिलाओं का उत्थान करना था। इसके दो मुख्य उद्देश्य थे — पहला, महिलाओं की स्थिति का उन्नयन; दूसरा, असमानता को दूर करना।

हिंदू कोड बिल के द्वारा विभिन्न विवाह प्रणालियों को समाप्त करने और केवल एक विवाह को वैध बनाने की मांग की गई थी। संपत्ति और गोद लेने के अधिकार महिलाओं को इस बिल द्वारा प्रदान किए गए थे, जिन्हें मनु द्वारा अस्वीकार किया गया था। कानूनी मामलों में महिला और पुरुष के बीच समानता की वकालत की गई थी।

अंबेडकर ने कहा था कि "मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूँ — फ्रांसीसी क्रांति के खिलाफ अपनी महान पुस्तक लिखने वाले दार्शनिक बर्क ने कहा था कि जो लोग संरक्षण करना चाहते हैं, उन्हें मरम्मत के लिए तैयार रहना चाहिए, और मैं इस सदन से केवल इतना ही कह रहा हूँ कि यदि आप हिंदू व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं, तो हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज जहाँ मरम्मत की आवश्यकता है, वहाँ मरम्मत करने में संकोच न करें। यह बिल हिंदू व्यवस्था के उन हिस्सों की मरम्मत के अलावा और कुछ नहीं मांगता जो जीर्ण-शीर्ण हो गए हैं।" (सिंगारिया, एम., 2014: 3)।

अंबेडकर ने धार्मिक विवाह को संविधान की उस भावना और दर्शन के विरुद्ध माना जो महिलाओं के लिए अधीनता की स्थिति लाते हैं। *हिंदू कोड बिल* में निम्नलिखित बातें शामिल थीं — मरने वाले व्यक्ति की संपत्ति उसकी विधवा पत्नी, उसके बेटे और उसकी बेटी के बीच समान रूप से वितरित की जाएगी। पहले संपत्ति के अधिकार से बेटी को वंचित किया जाता था। विधेयक में कहा गया है कि किसी महिला के पास मौजूद किसी भी संपत्ति को उसकी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र रूप से संसाधित किया जा सकता है। पुरुषों और महिलाओं दोनों को तलाक का मामला दायर करने का अधिकार होगा। तलाक के मामले में पति को अपनी पत्नी को भरण-पोषण प्रदान करना होगा। एकपत्नीवाद (मोनोगैमी) को अनिवार्य बनाया जाएगा और अंतरजातीय विवाह की अनुमति दी जाएगी। किसी भी जाति के बच्चे को गोद लिया जा सकता है (पवार, कौशल, 2013: 49)।

स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में भीमराव अंबेडकर को हिंदू व्यक्तिगत कानूनों को संहिताबद्ध करने का महान कार्य सौंपा गया था।

हालांकि, इस बिल को रूढ़िवादी हिंदू समाज के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि यह पितृसत्ता के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा था। इस बिल का विरोध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा के समर्थकों ने किया। बिल को धर्मशास्त्र और हिंदू संस्कृति के लिए अपमानजनक माना गया। इससे पहले कि इसे संविधान सभा में रखा जा सके, हिंदुओं के कुछ वर्गों ने यह नारा दिया कि "हिंदू धर्म संकट में है।"

हालांकि नेहरू ने मंत्रिमंडल से इसे मंजूरी दिलवा दी थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से इसे संसद में सदस्यों जैसे सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित मदन मोहन मालवीय, पट्टाभि सीतारमैया आदि के जोरदार विरोध का सामना करना पड़ा और इसी के चलते अंबेडकर ने संसद की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया (क्रिस्टोफ, जाफ्रलो, 2005: 6)।

अंबेडकर के इस्तीफे के बाद 1955-56 में हिंदू कोड बिल को संसद में इस अपेक्षा से पारित करवाया गया कि यह भारतीय समाज और संस्कृति का आधुनिकीकरण करेगा। हिंदू कोड बिल को चार हिस्सों में बाँटकर पारित करवाया गया —

1. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955
2. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
3. हिंदू अल्पवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम, 1956
4. दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956

अंबेडकर ने समानता के आधार पर हिंदू समाज के पुनर्निर्माण पर जोर दिया। एक समाज सुधारक के रूप में उनके लेखन और गतिविधियों ने महिला सशक्तिकरण में बहुत मदद की (सिंह, ओम, 2021: 29)।

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए *राष्ट्रीय महिला नीति 2001* में स्वीकार किया गया कि लिंग असमानता के लिए सामाजिक और आर्थिक संरचना भी काफी हद तक जिम्मेदार है, जैसा कि अंबेडकर ने बहुत पहले कल्पना की थी (शुक्ल, डी., 2011)। सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिलाओं की शिक्षा, स्वयं सहायता समूह, क्षमता निर्माण और कौशल निर्माण प्रशिक्षण, महिला और बाल विकास पर जोर, रोजगार सुविधाएँ, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और *राष्ट्रीय महिला आयोग* की स्थापना जैसी पहल भी की है।

महिलाओं के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भी रचनात्मक कदम उठाए गए हैं। पंचायतों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला है। राज्य सकारात्मक भेदभाव के द्वारा भी महिलाओं के उत्थान में बड़ा योगदान दे रहा है। फिर भी महिलाओं के प्रति असमानता और भेदभाव आज भी हमारे सामने कई रूपों में है। हिंसा, दहेज प्रथा, एसिड हमले, छेड़खानी, बलात्कार और ऑनर किलिंग जैसी विभिन्न सामाजिक बुराइयों का आज भी वे शिकार बन जाती हैं।

ससुराल और रिश्तेदारों द्वारा भी प्रताड़ित करने की घटनाएँ हमारे सामने आ जाती हैं। हालांकि महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, कानूनी और राजनीतिक रूप से सशक्त किया गया है, लेकिन महिलाओं के अधिकारों के बारे में पर्याप्त जागरूकता की कमी रही है। उन्हें आज भी पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता। भारत में दो प्रकार के महिला अधिकार आंदोलन हैं — एक कुलीन वर्ग का और दूसरा दलित महिलाओं का।

भारत में नारीवादी आंदोलन निम्न जाति की महिलाओं की समस्याओं को दूर करने में सफल नहीं रहा है। उनका यह बहिष्कार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर विशाखा दिशानिर्देशों में साफ दिखाई देता है, जो असंगठित वर्ग पर लागू नहीं होता है। निम्न जाति की महिलाएँ, जिनमें असंगठित क्षेत्र की 70 प्रतिशत महिलाएँ शामिल हैं, समान पारिश्रमिक के विशेषाधिकार से वंचित हैं। पितृसत्ता और जाति व्यवस्था का उन्मूलन हमारे समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकता है (सावंत, सी., 2015)।

न केवल संवैधानिक प्रावधान बल्कि लोगों के हृदय और दृष्टिकोण में परिवर्तन ही महिलाओं को सशक्त बना सकता है — यही अंबेडकर का बहुप्रतीक्षित लक्ष्य है। महिलाओं और सरकार की ओर से एक संयुक्त उद्यम उनके विकास के रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर सकता है।

आज़ादी के बाद डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और भारत के संविधान में ऐसे प्रावधान किए ताकि समाज में महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया जा सके। महिलाओं के लिए समानता का प्रावधान सभी धाराओं के लिए किया गया, चाहे वह शिक्षा हो, रोजगार हो, सामाजिक या आर्थिक अधिकार हो।

डॉ. अंबेडकर के कारण ही आज महिलाएँ आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर महसूस करती हैं। संविधान और कानूनों के कई लेखों के कार्यान्वयन से महिलाओं में आत्मविश्वास, व्यक्तित्व, आत्म-सम्मान और समग्र सशक्तिकरण आया। शिक्षा, उद्यमिता, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और रक्षा आदि सभी क्षेत्रों में सशक्त महिलाओं ने खुद को पुरुषों से बेहतर साबित किया है।

डॉ. अंबेडकर के कठिन प्रयासों के कारण ही समाज से पुरानी परंपराएँ धीरे-धीरे काफी हद तक गायब हो गईं। हालांकि, मजबूत न्यायिक और प्रशासनिक प्रणाली की अनुपस्थिति और कानूनों की अज्ञानता के कारण महिलाएँ विभिन्न सामाजिक बुराइयों जैसे बच्चे पैदा करना, परिवार की देखभाल की भूमिकाएँ, गहरे सांस्कृतिक मानदंड आदि का शिकार हो जाती हैं और भेदभाव, शोषण और घरेलू हिंसा का लक्ष्य बन जाती हैं।

महिला सशक्तिकरण संसाधनों के लिए महिलाओं की क्षमता का विस्तार करने और रणनीतिक जीवन विकल्प बनाने का महत्वपूर्ण साधन है। अंबेडकर का योगदान इस तथ्य में निहित है कि उन्होंने एक नई सामाजिक व्यवस्था की नींव रखी जो समाज के सभी वर्गों के सशक्तिकरण को सभी के लिए आवश्यक मानती है।

हम अंबेडकर के विचारों से ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि महिलाओं की भागीदारी के बिना समाज का विकास हो नहीं सकता, इसलिए विकास को समावेशी बनाने के लिए महिलाओं की भागीदारी बहुत ही आवश्यक है (दास, एस., 2015: 195)।

भारतीय संदर्भ में जब भी समाज में व्याप्त जाति, वर्ग और लैंगिक स्तर पर व्याप्त असमानताओं और उनमें सुधार के मुद्दों पर चिंतन हो, तो डॉ. आम्बेडकर के विचारों और दृष्टिकोण को शामिल किए बिना बात पूरी नहीं की जा सकती। आम्बेडकर संभवतः पहले अध्येता रहे हैं जिन्होंने जातीय संरचना में महिलाओं की स्थिति को लैंगिक दृष्टि से समझने का प्रयास किया। उनके सम्पूर्ण विचार मंथन के दृष्टिकोण में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा महिला सशक्तिकरण था, फिर चाहे वह किसी जाति, धर्म, संप्रदाय की हो। उन्होंने भारत की तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक व्यवस्था का सूक्ष्म अध्ययन करके जाना कि सभी समस्याओं के समाधान की मूल शर्त सामाजिक न्याय और परिवर्तन की क्रांति है।

संदर्भ

- अंबेडकर, बी. आर. (2020). *बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर संपूर्ण वांग्मय खंड 31* (12वां संस्करण). डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- कीर, धनंजय (2022). *डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जीवन चरित्र* (दूसरा संस्करण). (गजानन सुर्वे), पॉपुलर प्रकाशन प्रा. लि., मुंबई, पृ. 100।
- कुमार, बी. (2016). *लिब्रेटिंग इंडियन वुमन फ्रॉम स्लेवरी: एन एनालिसिस ऑफ डॉ. अंबेडकर कंट्रीब्यूशन फॉर अपलिफ्टिंग इंडियन वूमेन राइट. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर एंड ह्यूमैनिटीज, 4(11), 212–219।*
- *चतुर्वेदी, मधुकर श्याम एवं चतुर्वेदी, इनाक्षी (2002). प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक (22वां संस्करण). कॉलेज बुक हाउस, जयपुर, पृ. 426।*
- *जाफ्रलो, क्रिस्टोफ (2019). भीमराव अम्बेडकर: एक जीवनी (योगेंद्र दत्त). राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 6।*
- *जाफ्रलो, क्रिस्टोफ (2005). डॉ. अंबेडकर एंड अनटचेबिलिटी: फाइटिंग द इंडियन कास्ट सिस्टम. कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ. 32।*
- *त्यागी, रूची (2010). भारतीय राजनीतिक चिंतन (5वां संस्करण). हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, नई दिल्ली।*
- *दत्ता, रूनी (2019). एमानसिपेटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग इंडियन वूमेन: एन एनालिसिस ऑफ बी. आर. अंबेडकर कंट्रीब्यूशन. कंटेम्पररी वॉयस ऑफ दलित, 11(1), 25–32. https://doi.org/10.1177/2455328x18819901*
- *दास, एस. (2015). अंबेडकर एंड वूमन राइट्स: एन एनालिटिकल एनालिसिस. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी, 11(19), 191–195।*
- *दुबे, अभय कुमार (2002). आधुनिकता के आईने में दलित. वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 232।*
- *नागर, पुरुषोत्तम (2013). आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन (9वां संस्करण). राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर, पृ. 682।*
- *पवार, कौशल (2013). बाबा साहब अंबेडकर और हिंदू कोड बिल. सामाजिक न्याय संदेश, 11(4), 49–50, नई दिल्ली।*
- *भारत सरकार (2001). महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति 2001. महिला एवं बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।*
- *मून, बसंत (2011). डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर. नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली।*
- *विक्रम, एस. (2010). दलित महिलाएं: इतिहास, वर्तमान और भविष्य. श्रीनटराज प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. 42।*
- *शाह, घनश्याम (2002). कास्ट एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन इंडिया. परमानेंट ब्लैक, नई दिल्ली, पृ. 85।*
- *शुक्ला, डी. (2011). डॉ. बी. आर. अंबेडकर: विजन टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी. http://www.lawyersclubindia.com/articles/Dr-B-R-Ambedkar-Vision-towards-Gender-Equality--4144.asp*
- *संविधान सभा वाद-विवाद खंड 11 (2). (2015). लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली।*
- *सावंत, सी. (2015). वूमन शुड अंडरस्टैंड डॉ. अंबेडकर टीचिंग्स. द फ्री प्रेस जर्नल. https://www.freepressjournal.in/mumbai/women-should-understand-dr-ambedkars-teachings*
- *सिंगारिया, एम. आर. (2014). डॉ. बी. आर. अंबेडकर एंड वूमन एम्पावरमेंट इन इंडिया. क्रेस्ट जर्नल ऑफ रिसर्च इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, 2(1), 1–4।*
- *सिंह, ओम (2021). महिला उत्थान के लिए संवैधानिक प्रावधानों को लाने में डॉ. भीमराव अंबेडकर का योगदान: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन भारतीय समाज के संदर्भ में. एन इंटरनेशनल मल्टीडिसिप्लिनरी हॉफ ईयरली रिसर्च जर्नल, 10(1), 22–31. https://www.researchgate.net/publication/353481630*
- *सोलखे, मोनिका (2018). रोल ऑफ डॉ. अंबेडकर टुवार्ड वूमन एम्पावरमेंट इन इंडिया: एन एप्रेजल. जर्नल ऑफ एडवांसेज एंड स्कॉलरली रिसर्चेज इन एलाइड एजुकेशन, 15(5), 520–527. http://ignited.in/p/200842*